डालू राम व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।
खण्डपीठ बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या- 9433/2006

12.12.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा
माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम जाट

श्री वी. एस. बधवार, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।

श्री एम.एल. गोयल, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

सीमा उर्फ ममता कुमारी के कथन उप निबन्धक (न्यायिक) ने लेखबद्व किए। हमने सीमा उर्फ ममता कुमारी के कथनों का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया। सीमा उर्फ ममता कुमारी स्वयं के कथानुसार उसकी जन्मतिथि 7.6.1991 है, जिसके अनुसार वह नाबालिग है तथा प्रार्थीगण ही,जो कि उसके माता-पिता हैं, उसके संरक्षक है। अत: हम सीमा उर्फ ममता कुमारी को प्रार्थीगण डालू राम व श्रीमती राधा के सुपुर्द किया जाना उचित समझते हैं। अत: सीमा उर्फ ममता कुमारी को उसके माता-पिता डालूराम व श्रीमती राधा के सुपुर्द किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं तथा प्रार्थीगण डालू राम व श्रीमती राधा को भी निर्देश दिया जाता है कि वे सीमा उर्फ ममता कुमारी को पढ़ने-लिखने की सुविधा प्रदान करेगें तथा उसकी इच्छा के विरूद्व उसे अन्यत्र नाते नहीं बैठायेगें। थानाधिकारी, पुलिस थाना गुढा जिला- झुन्झुनू को निर्देश दिया जाता है कि वे सीमा उर्फ ममता कुमारी को उसके माता-पिता डालूराम व श्रीमती राधा के निवास स्थान पर सुरक्षित पहुंचावेगें।सीमा उर्फ ममता कुमारी के बयान को अभिलेख पर रखा जावे।

उक्त निर्देश के साथ यह बन्दीप्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्या. चतरा राम जाट) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**